भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *438

(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' के अंतर्गत लाभार्थी

***438. एडवोकेट डीन कुरियाकोस:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरों की संख्या में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान 'मनरेगा' के अंतर्गत केरल में जिलावार कुल कितने लाभार्थी हैं;

(घ) क्या डेयरी क्षेत्र की यह मांग है कि पशु चारा उत्पादन में लगे मजदूरों सहित संबंधित डेयरी क्षेत्र को भी 'मनरेगा' के अंतर्गत शामिल किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) और (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 438 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>।

(क) और(ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं उन्हें कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है। यह आजीविका सुरक्षा मुहैया कराता है अर्थात जब ग्रामीण परिवारों के पास आजीविका का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं रहता है तब यह उन्हें आजीविका के लिए सहारा देने वाले विकल्प का काम करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (26.03.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत केरल में वर्ष-वार पंजीकृत श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है:

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केरल में वर्ष-वार पंजीकृत श्रमिक (26.03.2025 की स्थिति के अनुसार)		
वित्तीय वर्ष	**योजना की शुरुआत के बाद से पंजीकृत श्रमिकों की संख्या (लाख में)**	**वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत श्रमिक (लाख में)**
2021-22	63.57	3.47
2022-23	62.52	1.81
2023-24	58.28	1.50
2024-25 (26.03.25 की स्थिति के अनुसार)	57.24	1.53

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

केरल में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (26.03.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान पंजीकृत श्रमिकों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध- I में दिया गया है।

(ग): केरल में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2019-20 से 2023-24 के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की जिला-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) और (ङ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा योजना) की धारा 29 के अनुसार, केन्द्र सरकार इस अधिनियम की अनुसूची 1 के अंतर्गत अनुमेय कार्यों की सूची में नए कार्य जोड़ सकती है। इस योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों में संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है। जब भी महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अनुमेय गतिविधियों की सूची में किसी कार्य को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त होता है या केंद्र सरकार द्वारा इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है , तो मामले की महत्ता के आधार पर जांच की जाती है और निर्णय लिया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत अनुमेय कार्यों में डेयरी क्षेत्र से संबंधित अनेक गतिविधियां शामिल हैं , जिनमें पशुधन संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण , जैसे मुर्गी बाड़े, बकरी बाड़े, सूअर बाड़े, मवेशी बाड़े और मवेशियों के लिए चारा रखने का स्थल आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि पर चारे के लिए सिल्वीपेस्चर घास के मैदानों का विकास महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत एक अनुमेय गतिविधि है। इन प्रावधानों से पशुधन पालन और चारा उत्पादन को बढ़ावा देने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण होता है , जिससे डेयरी क्षेत्र को लाभ मिलता है।

यहां, यह उल्लेख किया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-I के पैरा 4(3) के अनुसार, "ऐसे कार्य जो अमूर्त हैं, मापने योग्य नहीं हैं, दोहराव वाले कार्य जैसे घास हटाना, कंकड़ हटाना, कृषि कार्य, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाएंगे"।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 438 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केरल में पंजीकृत श्रमिकों का जिला-वार ब्यौरा (26.03.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं	जिले	2021-22		2022-23	
		योजना की शुरुआत से पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत श्रमिक	योजना की शुरुआत से पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत श्रमिक
1	आलप्पुषा	520938	17201	489340	8406
2	एर्नाकुलम	408249	21721	401647	9708
3	इडुक्की	387650	17833	387954	8686
4	कन्नूर	387676	25876	376771	12872
5	कासरगोड	274655	20800	276518	9448
6	कोल्लम	678381	35971	662036	17770
7	कोट्टयम	331014	17892	306318	9129
8	कोषिकोडु	575888	29165	578847	14032
9	मलप्पुरम	604327	47666	615464	23449
10	पालक्काडु	549584	30476	553544	16228
11	पत्तनंतिट्टा	276051	12681	248930	6994
12	तिरुवनंतपुरम	692421	33336	668220	18568
13	त्रिशूर	402271	24364	424921	20189
14	वायनाड	267811	11649	261145	5205
	कुल	**6356916**	**346631**	**6251655**	**180684**

क्र. सं	जिले	2023-24		2024-25 (26.03.25 की स्थिति के अनुसार)	
		योजना की शुरुआत से पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत श्रमिक	योजना की शुरुआत से पंजीकृत श्रमिकों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत श्रमिक
1	आलप्पुषा	423266	6543	394466	6857
2	एर्नाकुलम	382709	7983	377335	7813
3	इडुक्की	374382	7532	359739	6643
4	कन्नूर	348304	11285	348114	13440
5	कासरगोड	269197	7791	248539	8177
6	कोल्लम	587668	14017	585426	14924
7	कोट्टयम	285560	7119	289612	6484
8	कोषिकोडु	530997	12199	509325	11359
9	मलप्पुरम	605741	20764	583397	18862
10	पालक्काडु	543847	15949	550125	18192
11	पत्तनंतिट्टा	247890	5005	250273	5732
12	तिरुवनंतपुरम	558361	13694	567127	15742
13	त्रिशूर	428639	14891	426379	13791
14	वायनाड	240990	4838	234390	5375
	कुल	5827551	149610	5724247	153391

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 438 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2019-20 से 2023-24 के दौरान केरल राज्य में रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की जिला-वार संख्या

क्र. सं	जिले	रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिक (संख्या में)				
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आलप्पुषा	160003	177088	176534	170869	163640
2	एर्नाकुलम	89630	98435	96541	87611	80259
3	इडुक्की	152107	164340	158195	142027	131981
4	कन्नूर	87656	107240	113071	100850	99144
5	कासरगोड	77238	92685	97817	90416	85992
6	कोल्लम	163928	184249	191001	174240	163286
7	कोट्टयम	69871	85102	82550	72681	65680
8	कोषिकोडु	157114	188219	192610	169166	165597
9	मलप्पुरम	96520	106373	108865	105316	103072
10	पालक्काडु	176360	194360	192841	182490	173531
11	पत्तनंतिट्टा	59518	68374	66198	61936	56647
12	तिरुवनंतपुरम	197636	223101	224023	210295	194314
13	त्रिशूर	94697	113193	116493	113635	103838
14	वायनाड	71851	79895	82256	77091	74641
	कुल	**1654129**	**1882654**	**1898995**	**1758623**	**1661622**